


## सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत महाराणा प्रताप चौक से सांग नदी के पुल तक 101 विद्युत पोलों पर पोल वयोरक के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु दिनांक 01.02.2019 से दिनांक 31.01.2019 तक कुल 02 वर्ष हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 09.1.19 की सांय 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है:-

क्रम सं०	मार्ग का नाम	यूनिपोल/होर्डिंग हेतु कुल साईट	निगम द्वारा विज्ञापन हेतु आरक्षित निविदा धनराशि
1	रायपुर महाराणा प्रताप चौक से सांग नदी के पुल तक	101	82707/-

निविदा के साथ निविदा सूचना प्रपत्र में अंकित 10 प्रतिशत धनराशि ₹0-8271/-की सी0डी0आर0/संलग्न करनी अनिवार्य होगी। जो नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के नाम प्लेज होगी। निविदायें सीलबन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्वयं के द्वारा उपलब्ध करायी जानी होगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदायें दिनांक 10.1.19 को सांय 4.00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विज्ञापित प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्यदिवस में नगर निगम कार्यालय से दिनांक 09.1.19 सांय 1.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नगर निगम की वेबसाईट [www.nagarnigamdehradun.com](http://www.nagarnigamdehradun.com) पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, देहरादून

  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, देहरादून


### कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:- 3645/भूमि-2018,

दिनांक:- 24/12/18

प्रतिलिपि:-

- सम्पादक "राष्ट्रीय मध्य दिव्य दैनिक" को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- सम्पादक "द. प्रा. नि. म. न. न. न. NCR + UTTARAKHAND अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चरप्पा हेतु।
- कार्यालय प्रति।

  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, देहरादून।



## कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फोन 0135 2714074-0750 0135 2651000 ई-मेल nagarnigam.ddn@gmail.com)  
महाराणा प्रताप चौक से रायपुर रोड सांग नदी के पुल तक 101 पोल



1. निविदा दाता का नाम :- .....
  2. निविदादाता का पता :- .....
  3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम :- .....
  4. जमानत धनराशि :- रू0 .....(शब्दों में) .....
  5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :- .....
  6. बैंक का नाम :- .....
  7. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली निविदा राशि अंकों में :- रू0 .....  
(शब्दों में) .....
- निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :- .....
- निविदादाता का नाम :- .....
- निविदादाता का पूरा पता :- .....

### निविदा की शर्तें एवं प्राविधान

1. स्वीकृति दिनांक 01 फरवरी 2019 से दिनांक 31 जनवरी 2021 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि रू0-82707/- निर्धारित है।
3. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय आयकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जी0एस0टी0 नं0, पैनकार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0, आदि प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. विज्ञापन फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
5. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
6. धरोहर/जमा धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में लिखें जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।
8. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि माह जुलाई-2019 तक निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

10. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
11. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
12. निविदा के साथ रू0 8271/- की धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य है।
13. पोल क्योस्क सड़क से 10 फिट की ऊंचाई पर लगाये जायेंगे।
14. पोल क्योस्क पर 3.5 X 2.5 फिट साईज के ही विज्ञापन लगाये जायेंगे।
15. विद्युत पोलों पर केवल इल्यूमिनेटेड क्योस्क ही लगाये जायेंगे।
16. पोल क्योस्क इस प्रकार लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
17. पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य पोल क्योस्क नहीं लगाये जायेंगे।
18. पोलक्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई धनराशि देय नहीं होगी।
19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो रू0 25000/- क्योस्क की दर से प्रति क्योस्क अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
20. विद्युत पोलों पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोलक्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वयं के व्यय पर करना होगा।
21. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घण्टों के अन्दर हटाना होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
23. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
24. निविदादाता द्वारा दिनांक 31.01.2021 तक विज्ञापन कार्य सुचारु रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
25. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
26. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।
28. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

29. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी समे सम्बन्धी, उसके गुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन रू0-25000/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
30. पोल क्योस्क विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या लिखा जाना भी अनिवार्य होगा।
31. उपरोक्त विद्युत पोलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वयं करनी होगी।
32. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वयं का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-39 वर्ष 2012 का अनुपालन भी करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड गुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
33. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि  
नगर निगम, देहरादून।